न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/80

1. बाबूलाल आत्मज बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सूंसा तहसील नैनवा हाल निवासी पैट्रोल पम्प के पास ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. सूरजमल आत्मज रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी पुराने कार्यालय बैंक ऑफ इण्डिया शाखा के पास मैन बाजार करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. दुर्गाशंकर आत्मज रामगोपाल जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम सूंसा तहसील नैनवा हाल निवासी पैट्रोल पम्प के सामने श्रीराम चौहरा के पास, ग्राम इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शोजी लाल आत्मज कल्याण जाति माली निवासी सूंसा पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 20.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 23.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सूंसा तहसील नैनवा में आराजी खसरा नम्बर 1241/838 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 839 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी

अधिकारी नैनवा

का हक हिस्सा निहित है । उक्त भूमि पर पहुंचने के लिए ग्राम सूंसा से नहर के सहारे–सहारे होकर अप्रार्थीगण के खाते के खेत खसरा नम्बर 857/1085, 1139/859, 251/1035, 857/1086 में होकर 15 फीट चौडा रास्ता अर्सेदराज से बना हुआ है । इस रास्ते को अप्रार्थीगण ने हांक–जोत कर सकडा कर दिया है जिससे प्रार्थी को खेत जमीन पर कृषि उपकरण को लेकर आने–जाने में कठिनाई होती है । सदैव के लिए यह रास्ता 15 फीट चौडा था । रास्ता नक्शा परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थी के खातेदारी की कब्जे व हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 1241/838 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 839 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा पर आने–जाने व कृषि उपकरण ले जाने हेतु 15 फीट रास्ता अप्रार्थीगण के खाते के खेत में होकर दिया जावे तथा रास्ता नक्शा में तरमीम किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट कैथूदा में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 23.11.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के की भूमि खसरा नम्बर 1241/838 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 839 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम सूंसा पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 857/1085 रकबा 0.1133 हैक्टर में से रकबा 72 गठ्ठा * 2 गठ्ठा = 144 वर्ग गठ्ठा भूमि रास्ते के रूप में दिये जाने के आदेश पारित किये ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के पास अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 857/1085 में से 144 वर्गगठ्ठा भूमि रेस्पोडेन्ट को दिये जाने में त्रुटि की है । खसरा नम्बर 1241/838 व खसरा नम्बर 839 में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के अलावा अन्य व्यक्ति भी सहखातेदार हैं किन्तु किसी भी सहखातेदारान द्वारा अपीलान्ट की आराजी में से होकर पूर्व रास्ता विद्यमान नहीं बताया है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट की जानकारी के बिना एकतरफा रूप से प्रशासन गॉव के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट कैथूदा में ले जाकर निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28.03.2022 को बताये जाने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 31.03.2022 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि कानूनन गॉव के संग अभियान के तहत केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिन्हें दोनों पक्षों द्वारा राजीनामे से निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गई हो, किन्तु परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉव के संग अभियान की मूल भावना व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशों के पूर्णतया विपरीत जाकर गलत व गैरकानूनी रूप से अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एकतरफा रूप से निर्णय पारित करवा लिया । रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था । रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 1241/838 व खसरा नम्बर 839 की भूमि पर आने–जाने व कृषि सामान ले जाने के लिए सकतपुरिया से सूंसा के रोड से होते हुए रास्ता उपलब्ध है । रेस्पोडेन्ट प्रारम्भ से ही इसी रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा उक्त भूमि पूर्व खातेदार भंवर लाल आत्मज गंगाराम माली से क्रय की गई है । भंवर लाल प्रारम्भ से ही उक्त आराजी पर पहुंचने के लिए सकतपुरिया से सूंसा वाले वास्ते का ही उपयोग उपभोग करता रहा है । उक्त भूमि के पीछे अभी भी भंवरलाल माली के भाई राजेन्द्र व नारायण की भूमि स्थित है । राजेन्द्र व नारायण एवं अन्य खातेदार भी सकतपुरिया से सूंसा के रोड से होकर अपनी आराजी पर पहुंचते हैं । अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 857/1085 की रकबा 0.1133 हैक्टर में से होकर आने–जाने का कोई भी रास्ता विद्यमान नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से एवं रेस्पोडेन्ट कम 01 के पास अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 857/1085 में से 144 वर्गगठ्ठा भूमि रेस्पोडेन्ट को दिये जाने में त्रुटि की है । खसरा नम्बर 1241/838 व खसरा नम्बर 839 में रेस्पोडेन्ट कम 01 के अलावा अन्य व्यक्ति भी सहखातेदार हैं किन्तु किसी भी सहखातेदारान द्वारा अपीलान्ट की आराजी में से होकर पूर्व रास्ता विद्यमान नहीं बताया है एवं न ही किसी अन्य खातेदारान द्वारा अपीलान्ट की आराजी में से रास्ते की मांग की गई है और कानूनन रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश प्रार्थना पत्र महज अपीलान्ट को परेशान करने के आशय से पेश किया गया है । कानूनन पूर्व से ही विद्यमान रास्ता अवरूद्ध किये जाने पर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार के न्यायालय को है । रास्ता अवरूद्ध किये जाने के आधार पर धारा 251 (क) के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय

मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया था इसलिए उन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हुई । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार रास्ता कायम किये जाने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.08.2021 के अनुसार पत्रावली जवाब अप्रार्थी कम 1, 2 व 3 के जवाब में लम्बित थी और वास्ते जवाब पेश किये जाने आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.09.2021 नियत की गई । दिनांक 22.09.2021 को पत्रावली का प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में रखने हेतु दिनांक 23.11.2021 तारीख पेशी नियत की गई । दिनांक 23.11.2021 को प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का जवाब बन्द कर उसी दिन अपीलान्टगण की अनुपस्थिति दर्ज कर प्रार्थी की उपस्थिति के अंगूठा निशानी करवाकर निर्णय पारित कर दिया गया । पत्रावली अप्रार्थीगण के जवाब में नियत थी । जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था प्रशाासन गॉवों के संग अभियान में अपीलान्ट/अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें न तो जवाब तथा न ही सुनवाई का अवसर दिया गया । परीक्षण न्यायालय द्वारा दिये गये रास्ते के पश्चात् भी प्रार्थी की भूमि तक पहुंचने के लिए मध्य में स्थित दो खसरा नम्बर 857 व 857/1082 की भूमि से होकर ही निकलना होगा जिनके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है । पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 09.06.2020 तथा एक रिपोर्ट दिनांक 23.11.20221 की संलग्न है जो आई0एल0आर0 और पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित है । दोनों रिपोर्टस में भिन्नता है । उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 09.06.2020 का कोई हवाला नहीं दिया है । इन तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 02.11.20222 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा